संख्या– /4612/स0ना0उ0/पी0एस0/(कैम्प)/2005

प्रेषक,

पी0सी0शर्मा,
सचिव,
उत्तरांचल शासन ।

सेवामें,

निदेशक,
राजकीय नागरिक उड्डयन,
उत्तरांचल,
देहरादून ।

नागरिक उड्डयन विभाग देहरादून:दिनॉक 7 फरवरी, 2006

विषयः– नैनी–सैनी हवाई पट्टी, पिथौरागढ़ के विस्तार कार्य हेतु चिन्हित अतिरिक्त भूमि/सम्पत्ति/सम्पदा आदि के कय अथवा अर्जन के सम्बन्ध में वित्तीय वर्ष 2005–2006 धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

राज्य में औद्योगीकरण तथा पर्यटन विकास को गति प्रदान करने एवं राज्य में सुगम आवागमन के साधनों को विकसित करने के उद्येश्य से राज्य की हवाई पट्टियों एवं हवाई अड्डों के विकास एवं विस्तारीकरण की योजना के अन्तर्गत नैनी–सैनी हवाई पट्टी के विस्तारीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु स्थल निरीक्षण के बाद वॉछित अतिरिक्त भूमि के चिन्हॉकन के आधार पर जिलाधिकारी पिथौरागढ़ के पत्र संख्या–र–5435/पन्द्रह–73(99–2000) दिनॉक 23–7–2005 की प्रतिलिपि संलग्न करते हुए मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रयोजन हेतु वर्तमान हवाई पट्टी के पूर्व दिशा में 100 मी0, पश्चिम दिशा में 400 मी0, उत्तर दिशा में 40 मी0 तथा दक्षिण दिशा में 60 मी0 विस्तारीकरण में कुल 2,05,715 या 2,05,725 वर्ग मीटर (1028 नाली 10 मु0) भूमि को भूमि अर्जन की कार्यवाही के अन्तर्गत अधिग्रहीत किये जाने हेतु व्यय की जाने वाली धनराशि के रुप में ऑकलित कुल रुपये 12,07,25,000.00 (रुपये बारह करोड़ सात लाख पच्चीस हजार मात्र) तथा उक्त हवाई पट्टी के वर्तमान में विस्तारीकरण के प्रस्ताव के फलस्वरुप पूर्व दिशा में एक पब्लिक स्कूल तथा उसकी 05 नाली भूमि के विस्थापन हेतु कुल रुपये 25,37,760.00 (रुपये पच्चीस लाख सैंतीस हजार सात सौ साठ मात्र) इस प्रकार इस परियोजना की कुल लागत रुपये 12,32,62,760.00 (रुपये बारह करोड़ बत्तीस लाख बासठ हजार सात सौ साठ मात्र) की प्रशासनिक एव वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वर्तमान वित्तीय वर्ष 2005–2006 में रुपये 5,00,00,000.00 (रुपये पॉच करोड़ मात्र) की धनराशि जो कि आपके निवर्तन पर रखी गयी है उसके व्यय हेतु अग्रिम आहरण किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। उक्त प्रशासकीय स्वीकृति इस शर्त के अधीन है कि निर्माण कार्य के आगणन प्रस्तुत करने पर उक्त लागत घट तथा बढ़ भी सकती है ।

2– उक्त धनराशि की अलग से स्वीकृति प्रदान नहीं की जा रही है बल्कि इसका व्यय शासनादेश संख्या–89/IX(4)/2005-1(1)/2005-06 दिनांक 27 मई, 2005 द्वारा निदेशक नागरिक उड्डयन, उत्तरांचल, देहरादून के निवर्तन पर रखी गई धनराशि से ही वहन किया जायेगा।

3. जिलाधिकारी द्वारा प्रथम यह प्रयास किया जाय कि भूमि आपसी समझौते से प्राप्त कर ली जाय । आपसी समझौते से भूमि प्राप्त न होने की स्थिति में ही भू–अर्जन की कार्यवाही की जाय । उक्त धनराशि के पूर्ण उपयोग एवं अग्रिम के पूर्ण समायोजन के बाद ही आगामी किस्त अवमुक्त की जायेगी । आगामी किस्त का प्रस्ताव प्रेषित करने से पूर्व जिलाधिकारी से उक्त आहरण की समस्त सूचनायें उपलब्ध करा दी जायेगी ।

4. स्कूल की भूमि एवं भवन के विस्थापन कार्य हेतु कोई भी व्यय अथवा भुगतान करने से पूर्व इस सम्बन्ध में विस्तृत आगणन गठित कर उन का शासन स्तर पर टी0ए0सी0 से परीक्षण करके तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय ।

5. उक्त धनराशि का आहरण कर व्यय हेतु जिलाधिकारी पिथौरागढ़ को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा । किसी भी दशा में इस धनराशि का व्यावर्तन अन्य मदों में कदापि नहीं किया जायेगा ।

6. उक्त धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है,जिसमें बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों का अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक है,उसमें उस अधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त ही व्यय किया जायेगा । उक्त व्यय में मितव्ययता के विषय में शासन द्वारा समय–समय पर जारी किये गये समस्त शासनादेशों में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

7. एवार्ड / भुगतान के उपरान्त जिलाधिकारी द्वारा सम्पूर्ण धनराशि का व्यय विवरण शासन एवं निदेशक, नागरिक उड्डयन, उत्तरांचल,देहरादून को उपलब्ध कराया जायेगा और अवशेष धनराशि शासन को समर्पित की जायेगी । व्यय विवरण हेतु अलग से एक रजिस्टर भी रखा जायेगा,जिसमें भुगतान की तर्क संगत दरों,भूमि का क्षेत्रफल,किस्म,रजिस्ट्री आदि पर व्यय,विक्रेता का नाम पता आदि उल्लिखित रहेंगे । व्यय से सम्बन्धित समस्त वाउचर जिलाधिकारी के कार्यालय में उक्तानुसार सुरक्षित रखे जायेंगे ।

8– भूमि का क्रय / अर्जन अथवा हस्तान्तरण की कार्यवाही होने के बाद भूमि का राजस्व अभिलेखों में हस्तान्तरण राजकीय नागरिक उड्डयन विभाग के नाम दर्ज किया जायेगा ।

9– अग्रिम के रूप में स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि का दिनांक 1–3–2006 तक पूर्ण उपयोग कर समायोजन भी उक्त तिथि तक अवश्य कर लिया जायेगा। यदि कोई धनराशि अवशेष रहती है तो उसे शासन को समर्पित कर दिया जायेगा। ऐसा न करने पर जिलाधिकारी ही पूर्ण रूप से उत्तरदायी माने जायेगें ।

10. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2005–2006 के आय–व्यय के अनुदान संख्या–24 के लेखाशीर्षक 5053–नागर विमानन पर पूँजीगत परिव्यय 02–विमान पत्तन आयोजनागत 800–अन्य व्यय –03 हवाई पट्टी के निर्माण हेतु अधिग्रहीत भूमि के प्रतिकर का भुगतान 00–24–वृहत् निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

11. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 107 / XXVII(2) / 2006,दिनॉक 04 फरवरी,2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

(पी0सी0शर्मा)
सचिव

संख्या– 61 /4612 / स0ना0उ0 / पी0एस0 / (कैम्प) / 2005,समदिनॉकि

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. महालेखाकार, उत्तरांचल, ओबेरॉय मोटर बिल्डिंग, माजरा,देहरादून ।
2. आयुक्त,कुमॉऊ मण्डल,नैनीताल ।
3. जिलाधिकारी,पिथौरागढ़ ।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून
5. स्टाफ आफीसर,मुख्य सचिव,उत्तरॉचल ।
6. निजी सचिव,मा0 मुख्यमंत्री जी
7. वित्त अनुभाग–2
8. बजट संसाधन एवं राजकोषीय निदेशालय।
9. गार्ड फाइल ।
10. एन0आई0सी0उत्तरांचल

आज्ञा से,

(पी0सी0शर्मा)
सचिव